संख्या-4/2025/001-291-77-2-2025-77-2002(002)/1/2021-2-1/933066/2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री,

उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-8 (राजस्व लेखा) के लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत वितीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी0एस0-01-बजट/2025 दिनांक 03-04-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के (राजस्व लेखा) लेखाशीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट प्राविधानित कुल धनराशि रू0 66,27,50,000/- (रूपये छियासठ करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्नलिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में व्यववस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2025 द्वारा निर्गत शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(3) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य/प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2058000010300 (**अधिष्ठान (मुख्यालय)**)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	01 वेतन	10,50,00,000 (रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र)
2	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	03 मंहगाई भत्ता	6,30,00,000 (रुपये छह करोड़ तीस लाख मात्र)
4	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	04 यात्रा व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
5	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	07 मानदेय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh

8	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	08 कार्यालय व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
9	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	09 विद्युत देय	3,25,00,000 (रुपये तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
10	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
11	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
12	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
14	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
16	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
17	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	39 औषधि तथा रसायन	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
19	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	42 अन्य व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
20	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	44,00,00,000 (रुपये चौवालीस करोड़ मात्र)
21	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
22	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
24	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

			स्टेशनरी का क्रय	
25	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	49 चिकित्सा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
26	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	51 वर्दी व्यय	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
27	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	55 मकान किराया भत्ता	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
28	008	2058000010300 अधिष्ठान (मुख्यालय)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**66,27,50,000** **(रुपये छियासठ करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

संख्या-4/2025/001-291-77-2-2025-77-2002(002)/1/2021-2-1/933066/2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6- नोडल अधिकारी/उप सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।